शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जुलाई 2019
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

आदिवासियों के उत्थान में पशुपालन का योगदान
झाबुआ जिले के विशेष सन्दर्भ में

संगीता कटारा (शोधार्थी)
डॉ.प्रकाश गर्ग
प्राध्यापक वाणिज्य
श्री अटल बिहारी वाजपेयी शा.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

दुनिया के इस बदलते परिवेश में जहाँ निरन्तर दिन-प्रतिदिन परिवर्तन हो रहे हैं वहाँ झाबुआ जिला भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है। लोगों के रहन-सहन, विचार, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक क्षेत्र में भी निरन्तर परिवर्तन देखने मिल रहे हैं। आदिवासियों के मुख्य कार्य कृषि व अन्य महत्वपूर्ण कार्य पशुपालन से आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है। नवीन तकनीकों व योजनाओं के माध्यम से झाबुआ जिले के आदिवासी जागरूक हो रहे हैं व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के विकास में व पूंजी निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में पशुपालन का आर्थिक विकास में योगदान का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना

झाबुआ जिला वर्तमान म.प्र. के सर्वाधिक आदिवासी बाहुल्य जिलों में से एक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या 10,25,048 है। इसमें आदिवासी जनसंख्या लगभग 8,91,818 है जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 87 प्रतिशत है। जिले में मुख्य रूप से भील जनजाति पाई जाती है। भीलाला व पटलिया भील जनजाति की उपजातियाँ हैं जो जिले के विशेष भागों में ही निवासरत है। सामान्यतः भील जनजाति जिले के सभी भागों में निवासरत है।

झाबुआ जिले के आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि ही इनके जीवन जीने का आधार है। तपती हुई धूप हो या कड़कड़ाती हुई ठण्ड़ बारिश हो या कोई अन्य मौसम इन्हें हम खेतों में लगातार कार्य करते हुए देख सकते हैं। कृषि के बाद यहाँ के आदिवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। पशुओं को पालना इनका एक मुख्य कार्य या कहा जाए तो इनकी रूचि का एक साधन है। झाबुआ जिला पशुधन की दृष्टि से सम्पन्न जिला है। पशुपालन झाबुआ जिले के आदिवासियों का एक सहायक व्यवसाय कहा जा सकता है। आदिवासियों की सम्पन्नता का पता भी इनके घर में पल रहे पशुओं से लगाया जा सकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो जिस व्यक्ति के पास पशु जितने अधिक होंगे उस गाँव में वह उतना ही सम्पन्न होगा। यदि किसी के पास एक भैंस भी है तो अन्य व्यक्तियों की तुलना में वह व्यक्ति उस फलिये में सम्पन्न व्यक्ति है। अधिक मात्रा में भैंसे, बकरियाँ व मुर्गे-मुर्गियों को पालने वाले भील को रोकड़िया व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके पास नकद-धन हमेशा रहता है। पशुओं से

प्राप्त चीजों जैसे-घी, दूध, आदि को बेचने पर नकद प्राप्त होता रहता है। साथ ही मुर्गियों के अण्डों आदि को बेचकर भी इन्हें रूपया प्राप्त होता है। ग्रामीण हाट-बाजारों में इन सभी उत्पादों को बेचते देखा जा सकता है। पशुपालन में ये विशेषकर दूध देने वाली भैंसों व गायों को पालते हैं। अच्छी प्रजाति के बैलों को पालना व कृषि कार्य में उपयोग करना भी इनकी शान है। बहुत अच्छे बैल जिनके पास भी होते हैं तो उन्हें भी सम्पन्न मानते हैं, क्योंकि उन बैलों से कृषि अच्छी होगी यह माना जाता है।

झाबुआ जिले में 19वीं पशु संगणना के आधार पर कुल पशुओं का विवरण इस प्रकार है :

19वीं पशु संगणना जिला झाबुआ के मुख्य पशुधन

विकासखण्ड	गौवंशीय			भैंस वंशीय	बकरा-बकरी	योग
	संकर	देशी	योग			
झाबुआ	2154	54313	56467	10598	40547	107612
मेघनगर	1390	64552	65942	14872	39236	120050
थान्दला	7317	78416	85733	17110	52507	155350
पेटलावद	6057	83682	89739	33055	64460	187254
राणापुर	7	48550	48557	14228	34486	97271
रामा	484	62251	62735	12944	35199	110878
योग	17409	391764	409173	102807	266435	-

स्रोत : उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला झाबुआ

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुख्य पशुओं के अन्तर्गत झाबुआ जिले में गौवंशीय भैस वंशीय व बकरा-बकरी पाले जाते हैं, सबसे अधिक पशुओं वाले विकासखण्ड को यदि देखे तो पेटलावद विकासखण्ड में ही लगभग 1,87,254 पशु हैं उसके बाद थान्दला विकासखण्ड में लगभग 1,55,350 पशुधन हैं। सबसे कम पशु राणापुर विकासखण्ड में लगभग 97,271 है। इसके बाद यदि सबसे अधिक पशु की किस्म देखी जाए तो गौवंशीय पशु लगभग 4,09,173 है। इसके बाद बकरे-बकरियों की संख्या सम्पूर्ण जिले में लगभग 2,66,435 है। इसी प्रकार भैसवंशीय पशुओं की संख्या लगभग 1,02,807 है। पशुओं की संख्या में सबसे अधिक पशु गौवंशीय होने का मुख्य कारण यह है कि झाबुआ जिला कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के पास खेती करने हेतु 2 बैल अवश्य होते हैं। कहीं-कहीं पर ही यह देखा गया कि गरीबी के कारण आदिवासियों के पास अपने स्वयं के बैल नहीं होते हैं। अधिकांश आदिवासियों के पास चाहे अन्य कोई पशु हो या न हो पर अपने कृषि कार्य हेतु 2 बैल अवश्य ही होंगे।

उसी प्रकार मुख्य पशुओं के अतिरिक्त भी झाबुआ जिले में अन्य पशु व मुर्गेमुर्गियों आदि का पालन किया जाता है इनका विवरण इस प्रकार है :

19वीं पशु संगणना जिला झाबुआ के अन्य पशु व कुक्कुट

विकासखण्ड	भेड़-भेड़ी	घोड़ा-घोड़ी	खच्चर	गधे	ऊँट	मुर्गा व मुर्गी
झाबुआ	1,701	14	0	36	0	79,827
मेघनगर	135	0	0	0	0	75,792
थान्दला	172	5	0	69	0	94,873
पेटलावद	237	20	1	83	0	70,137

राणापुर	380	0	0	65	0	71,338
रामा	399	0	0	0	0	76,341
योग	3,024	39	1	253	0	4,68,308

स्रोत : उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ जिला झाबुआ

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि जिले में भेड़-भेड़ी, घोड़ा-घोड़ी, खच्चर, गधे, व ऊँट तो ज्यादा संख्या में नहीं हैं किन्तु जिले में मुर्गे-मुर्गियों की संख्या अधिक मात्रा में है। जिस प्रकार सभी आदिवासियों के पास बैल होते हैं उसी प्रकार मुर्गे-मुर्गी तो प्रत्येक घर में होते ही हैं। सभी के घरों में आसानी से मुर्गे-मुर्गियाँ मिल ही जाते हैं।

जिले में गौवंशीय, भैसवंशीय, बकरा-बकरी व मुर्गा-मुर्गी का पालन सबसे अधिक किया जाता है, किन्तु यहाँ पर पशुओं को खिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा (घास) उपलब्ध नहीं हो पाता है जिसमें अधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाता है। बारिश के मौसम में तो पशुओं को जंगलों व चरागाहों मे घास चराने के लिए ले जाया जाता है, किन्तु गर्मी के मौसम में हरियाली नहीं रहती है जो घरों में घास इकट्ठा की जाती है वही खिलाई जाती है। कस्बे या गाँव में अधिकांश दूध की पूर्ति ये आदिवासी ही करते हैं किन्तु आवागमन के साधनों की कमी के कारण समय पर ये अपने गन्तव्य तक नहीं पहुँच पाते हैं। इन सब के कारण दूध बेचने की अपेक्षा घी बनाकर बेचना पसन्द करते हैं। झाबुआ जिले में दूध तो उत्पादित होता है किन्तु इसका व्यावसायीकरण नहीं हो पाया है। जिले में दुग्ध संयंत्र झाबुआ व पेटलावद तहसील में दुग्ध शीत केन्द्र पेटलावद के नाम से संस्था स्थापित की गई है। इन दो तहसीलों झाबुआ व पेटलावद में ही लगभग 47 समितियों का गठन तो किया गया है। साथ ही अन्य तहसीलों में भी अनेक दुग्ध समितियाँ बनाई गई है। इन समितियों के द्वारा दुग्ध संग्रहण किया जाता है उसके बाद साँची द्वारा संचालित दुग्ध संयंत्र झाबुआ के दुग्ध वाहन प्रत्येक गाँव में जाकर दूध को झाबुआ व पेटलावद तक लाते हैं। झाबुआ तहसील में प्रतिदिन दूध का संग्रहण 4000 लीटर व पेटलावद तहसील में लगभग 10000 लीटर होता है। पेटलावद में सिर्फ दूध संग्रहण कार्य किया जाता है जबकि झाबुआ में संग्रहण, पैकिंग व विक्रय का कार्य किया जाता है। झाबुआ जिले में प्रतिदिन सिर्फ साँची ब्राण्ड का दूध ही 18000 से 20000 लीटर बिकता है। उसके बाद अन्य ब्राण्ड का दूध सीधे प्रत्यक्ष रूप से भी अधिक मात्रा में लोगों के घरों तक सीधे पहुँचाया जाता है। जिले में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित मांगलिया इन्दौर से भी दूध पहुँचाया जाता है। समिति के माध्यम से दूध बेचने पर उनका भुगतान10-10 दिन में किया जाता है। साथ ही लगभग 30 व्यक्ति दुग्ध संयंत्र झाबुआ में कार्यरत हैं जो कि जिले के ही हैं। समिति में दूध बेचने से आदिवासियों को मुनाफा हो रहा है क्योंकि दूध एक साथ बिक जाता है। दूध खराब होने की चिन्ता भी नहीं रहती है व दूध को उठाकर भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाना होता है। समितियों का गठन पास के राज्य गुजरात से प्रेरणा लेकर किया गया है वहाँ पर अमूल दुग्ध ब्राण्ड में इसी प्रकार की कार्य शैली है। वहाँ दूध का उत्पादन व खपत भी अधिक मात्रा में की जाती है।

पशुपालन उद्योग में आज कड़कनाथ मुर्गे-मुर्गियों का पालन कर उन्हें बेचना सबसे अधिक सफलतम व्यवसाय साबित हो रहा है। कड़कनाथ एक विरलतम प्रजाति है। जिस प्रकार झाबुआ जिले का भगोरिया देश ही नहीं विश्व प्रसिद्ध है उसी प्रकार कड़कनाथ भी आज विश्व प्रसिद्ध है। कड़कनाथ प्रजाति प्रमुख रूप

से काले मांस के लिए प्रसिद्ध है जिसे बीएमसी (ब्लेक मीट चिकन) कहा जाता है। यह माँस बहुत कम वसायुक्त एवं प्रोटीन की अधिकता वाला होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी यह चिकन गुणकारी माना जाता है, इसमें विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, बी 12, सी और ई नाइसीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन व निकोटीनिक एसिड पाया जाता है। कड़कनाथ की माँग दिन-प्रतिदिन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इसमें उच्च गुणवत्तापूर्ण औषधीय मूल्य है इसका उपयोग मुख्य रूप से हौम्योपैथिक इलाज के लिए भी किया जाता है जो स्नायु संबंधी विकारों को दूर करने में मददगार होता है। रक्त कोशिकाओं एवं हीमोग्लोबीन को बढ़ाता है। कड़कनाथ मुर्गी के अण्डे हल्के-भूरे रंग के होते हैं साथ ही अण्डे सरदर्द, अस्थमा, गुर्दे संबंधी बीमारियों, के लिए उपयुक्त होते हैं। इन मुर्गे-मुर्गियों को नवीनतम तकनीकी एवं उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान किया जाता है, जिससे इनका वजन 100 से 125 दिनों में 1.10 से 1.25 कि.ग्रा. हो जाता है।

देश की जियोग्राफिकल इन्डीकेशन्स (जीआई टैग) रजिस्ट्री ने मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले की पारम्परिक प्रजाति के कड़कनाथ मुर्गे को मंजूरी प्रदान की है। इस प्रक्रिया में लगभग साढ़े छः वर्षो का समय लगा। जीआई टैग के लिए ग्रामीण विकास ट्रस्ट (सहकारी सोसायटी) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2012 को आवेदन दिया था। लम्बी जद्दोजहद के बाद इस अर्जी पर अंतिम फैसला होने ही वाला था, इससे पहले एक निजी कम्पनी ने यह दावा किया कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कड़कनाथ की इस प्रजाति को अलग व अनूठे ढंग से पालकर संरक्षित किया जा रहा है। हालाँकि मध्यप्रदेश का दावा मार्च में ही मंजूर कर लिया गया था अपनी भौगोलिक उपदर्षन पत्रिका में इस बारे में विज्ञापन भी प्रकाषित कर दिया गया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ द्वारा इस जंग में अपने कदम वापिस खींच लिए। अनेक प्रकार की कठिनाईयों के बाद आखिरकार झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को भौगोलिक पहचान जी आई का चिह्न 30 जुलाई 2018 को प्रदान कर दिया गया। यह जी आई प्रमाण पत्र 7 फरवरी 2022 तक ही वैध रहेगा। ग्रामीण विकास ट्रस्ट के क्षैत्रीय कार्यप्रबन्धक श्री महेन्द्रसिंह राठौर ने इसकी पुष्टि की व पंजीयन की औपचारिक सूचना की भी पुष्टि की। जी आई प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पादों को प्रदान किया जाता है, जो अनूठी एवं विषेष गुणवत्ता रखते हो। जी आई प्रमाण पत्र के कारण कड़कनाथ मुर्गे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचाना जाने लगा है। इसके वाणिज्यिक प्रभाव बढ़ने के साथ ही निर्यात के और अधिक रास्ते खुल गये हैं। स्थानीय भाषा में इसे कालामासी कहा जाता है। इसकी त्वचा कोमल, पंखों से लेकर मांस तक रंग एवं रक्त भी काला होता है। दूसरी प्रजातियों के चिकन के मुकाबले इसमें चर्बी व कोलेस्ट्रोल की मात्रा बहुत कम होती है। इस प्रजाति के जीवित मुर्गे-मुर्गियों का मांस व अण्डे दूसरी कुक्कुट प्रजातियों के मुकाबले अधिक महंगी दरों पर मिलते हैं।

झाबुआ जिले के ग्राम मिण्डल में कड़कनाथ मुर्गे-मुर्गियों का पालन अधिक किया जाता है। इसी गांव की रहने वाली श्रीमती हुमली पति भूरा मैडा बताती हैं कि वे लगभग 15 वर्षो से यह कार्य कर रही है। शासन द्वारा सर्वप्रथम फार्म भरवाकर प्रदर्शनियों के द्वारा व अन्य अलग-अलग तरीकों से सब्सिडी आदि देकर ग्रामवासियों को मुर्गे-मुर्गियों के पालन हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही और भी अनेक योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वे बताती हैं कि झाबुआ-थान्दला मेन रोड

पर ग्राम मिण्डल में ही प्रतिदिन लगभग 1000 मुर्गे-मुर्गियों को बेचने का व्यवसाय हो जाता है। इस गांव के अलावा अन्य गांवों में भी कड़कनाथ मुर्गे-मुर्गियों को बेचने का कार्य किया जा रहा है। एक बड़ा मुर्गा अधिक से अधिक लगभग 1500 रू. में बिक जाता है। अंडे भी 30 से 40 रूपये प्रतिनग में बिक जाते हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ द्वारा ग्राम झायड़ा, मेहन्दीखेड़ा एवं नेगड़िया में भी परियोजना कार्य चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना से पक्के कड़कनाथ मुर्गीघरों का निर्माण करवाया गया है। समूह के माध्यम से कड़कनाथ मुर्गे-मुर्गियों को पालने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान के लोग खरीदकर ले जा रहे हैं। समूह के सदस्यों को कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ में मुर्गीपालन का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे बेहतर तरीके से इनका पालन-पोषण कर सकें। प्रशिक्षण में 10 दिवसीय चूजों को लाने से लेकर उनके सन्तुलित आहार, दाना-पानी के बर्तन, टीकाकरण व दवाईयों की पूरी जानकरी दी गई। इस समूह से प्रेरित होकर अन्य आदिवासियों ने भी अत्यन्त कम लागत में मुर्गीघर बनाकर मुर्गीपालन शुरू कर दिया है, जिससे इन गांवों में आदिवासियों का पलायन कम हो गया है व इस तरह के व्यवसायों पर जोर दिया जा रहा है। कड़कनाथ पालन हेतु आर्थिक विश्लेषण कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ की पुस्तिका जो कि राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना की है कड़कनाथ (प्रबन्धन व रखरखाव) पुस्तिका में 100 कड़कनाथ मुर्गे-मुर्गियों हेतु ष्शेड का निर्माण, सभी स्थायी लागत व अस्थायी लागतों सहित सभी खर्चों का वर्णन किया गया है। साथ ही सभी प्राप्तियों के वर्णन के साथ शुद्ध लाभ 43,500 रू. बताया गया है जो कि प्रत्येक चार माह की अवधि में प्राप्त होंगे। इस प्रकार प्रतिवर्ष 1,30,500 रू. का लाभ प्रतिवर्ष व प्रतिमाह लगभग 11,000 रू. का शुद्ध लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इससे आदिवासियों का पलायन अवश्य ही कम होगा। जिले की विभिन्न संस्थानों द्वारा भी दूसरे गांवों के आदिवासियों को कड़कनाथ व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

विभागीय योजनाओं की जानकारी वर्ष 2018-19

क्र	योजना का नाम	वर्ग	इकाई लागत	शासन अनुदान	हितग्राही अंशदान	रिमार्क
1	कड़कनाथ चूजे प्रदाय (40 चूजे)	अ.ज.जा	4,400	3,300	1,100	
2	बकरी इकाई (10+1)	अ.ज.जा/ अ.जा	77,456	46,474	7,746	शेष बैंक ऋण
		सामान्य	77,456	30,982	7,746	शेष बैंक ऋण
3	वत्सपालन प्रोत्साहन योजना	सभी	17,000	17,000	0	
4	समुन्नत पशु	सभी	45,000	33,750	11,250	

	प्रजनन कार्यक्रम					
5	नन्दीषाला योजना (गिर/मालवी)	सभी	25,720/ 18,260	19,290/13,6956	,430/ 4,565	
6	बकरा प्रदाय योजना	सभी	8,300	6,225	2,075	
7	डेयरी इकाई	सभी	अधिकतम 10 लाख	अ.ज.जा. 33% सामान्य 25%	10%	शेष बैंक ऋण

स्रोत : उपसंचालक पशु चिकित्सा पशुपालन विभाग झाबुआ

इन योजनाओं में कड़कनाथ मुर्गे - मुर्गियों के पालन के लिए निम्न हितग्राहियों को शासन द्वारा लाभ दिया गया जो कि निम्न है :

वर्ष/ हितग्राही	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
हितग्राहियों की संख्या	210	208	200	200	101	60	112	284

स्रोत : उपसंचालक पशु चिकित्सा, पशुपालन विभाग झाबुआ

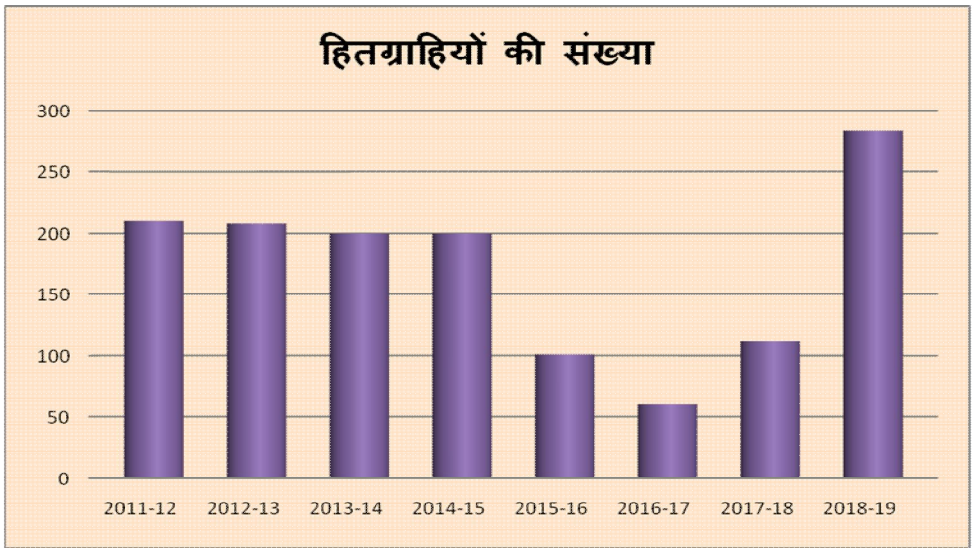

उपर्युक्त तालिका में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 तक हितग्राहियों की सूची दी गई है योजना का लाभ लेने वाले सबसे अधिक हितग्राही वर्ष 2018-19 में 284 व सबसे कम वर्ष 2016-17 में 60 हितग्राही हैं। यह आॅकडे सिर्फ उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पशुपालन विभाग झाबुआ के ही है। अन्य संस्थाओं व एनजीओ के माध्यम वितरित किये गये कड़कनाथ चूजों की संख्या अलग है।

कड़कनाथ मुर्गे- मुर्गियों का आर्डर आनलाईन भी प्राप्त किया जाता है। जिले में ग्राहक ग्वालियर पचमढ़ी, दिल्ली व मुम्बई तक से कड़कनाथ का आर्डर लेने स्वयं आते हैं। प्रत्येक मौसम में कड़कनाथ की माँग अधिक रहती हैं किन्तु ठण्ड के मौसम में मांग और अधिक बढ़ जाती है। कड़कनाथ का आहार (खाना)

गुजरात के दाहोद से खरीदकर लाते हैं। घर के अनाज से ये जल्दी बड़े नहीं होते हैं व स्वथ्य भी नहीं रहते हैं।

वर्तमान में भी अलग-अलग योजनाएँ चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं का लाभ समिति के माध्यम से लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ के लोग शासन का आभार मानते हैं व कहते हैं कि वास्तव में शासन द्वारा हम गरीब आदिवासियों के लिए अलग-अलग प्रकार की योजना के माध्यम से मदद की गई। योजनाओं द्वारा ही आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति में सुधार आया है और आगे भी निश्चित तौर पर सुधार होगा।

सुझाव

झाबुआ जिले में शिक्षा का स्तर शासन के प्रयासों से बढ़ता जा रहा है, किन्तु लोगों को शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक करने हेतु पढ़े लिखे छात्रों द्वारा ही समूह बनाकर छळव् के माध्यम से व व्यक्तिगत रूप से भी आगे आना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसे व्यक्ति अपने व समाज के विकास में उपयोग कर सकता है। यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो शासकीय कार्यालयों व अन्य जगहों पर जानकारी प्राप्त करने में संकोच नहीं करेगा व सभी क्षेत्रों का ज्ञान उसे होगा चाहे वह सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक ही क्यों न हो।

दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए डेयरी फार्म आदि और अधिक मात्रा में बढ़ाना चाहिए इसके लिए गुजरात राज्य की दुग्ध उत्पादन कार्यशैली को प्रेरणा के रूप मंे आत्मसात करना चाहिए।

शासन द्वारा अनेक योजनाएँ तो चलाई जा रही है परन्तु उसको मूर्तरूप देने हेतु जिले में मूल्यांकन समिति का भी गठन करना चाहिए जिससे ये प्रत्येक गाँव मंे जाकर ज़मीनी हक़ीकत को देखें व शासन को योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत कराए।

लोगों को समितियों व समूहों का गठन अधिक से अधिक करना चाहिए जिससे कुछ भी समस्या होने पर ये एक-दूसरे की मदद कर सकें व सभी का कार्य आसानी से चलते रहे।

लोगों को अन्य शहरों व राज्यों में पलायन के नुकसान के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि पलायन से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

निष्कर्ष

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि झाबुआ जिले को पिछड़ा हुआ तो माना जाता है किन्तु यहाँ पर कठोर परिश्रम करने वाले ये आदिवासी मौजूद हैं इन्हें आवश्यकता है बस प्रोत्साहन की, नई-नई तकनीकों की समझाईश की, अत्यन्त कम साधनों में गुजर-बसर करने वाले ये आदिवासी आराम करना पसन्द नहीं करते। यदि ये सभी जागरूक होकर व एकजुट होकर कार्य करेंगे तो जिले के आगे जो 'पिछड़ा' हुआ शब्द लगा है वह शब्द निश्चित ही एक दिन हटा लिया जाएगा व लोगों के सहयोग से ही एक दिन यह जिला सम्पन्न जरूर बन जाएगा।

सन्दर्भ ग्रंथ

1 पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान डॉ. उमेश दांतरे

2 पशुपालन, डॉ. डी. के. ठाकुर

3 मुर्गीपालन, एन.वी.जाधव

4 पशुपालन निर्देशिका

5 कड़कनाथ (प्रबन्धन एवं रखरखाव), कृषि विज्ञान केन्द्र

6 भौगोलिक उपदर्शन पत्रिका, 28 मार्च 2018 झाबुआ

7 आर्टिकल - कड़कनाथ पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस, डॉ. आई एस. तोमर, डॉ. चन्दन कुमार, कृषि विज्ञान केन्द्र, झाबुआ

अंकेक्षण प्राप्ति

1 सांख्यिकी विभाग, झाबुआ

2 उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ पशुपालन विभाग झाबुआ

3 कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ